विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 304

दुर्ग, दिनांक - 21/9/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 118
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई

आवेदक

बी.पी. क्रमांक : 1001989119

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, नेहरू नगर जोन

आवेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 17 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी. पी. क्रमांक 1001989119, स्वीकृत भार 14 किलोवाट, के संबंध में विद्युत बिल सही रूप से जारी नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

आवेदक द्वारा मुख्यतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई बिलिंग, उक्त अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज तथा कनेक्शन के स्वीकृत भार को बढ़ाए जाने के संबंध में शिकायत एवं निवेदन किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं :–

1. उपरोक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई की सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 14 किलोवाट है।

3. उक्त कनेक्शन में जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

4. अनावेदकगण के अनुसार पूर्व में स्थापित मीटर दिसंबर 2022 से जून 2025 तक डिफेक्टिव रहा।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक द्वारा शिकायत में उल्लेख किया गया है कि नवंबर 2023 से जून 2025 तक की अवधि के लिए लगभग 2784 यूनिट की खपत के आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जबकि उक्त बिलिंग सही मीटर रीडिंग अथवा उचित फील्ड सत्यापन के आधार पर नहीं की गई है।

आवेदक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग सड़क बत्ती के लिए किया जाता है तथा मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में पावर फैक्टर/कैपेसिटर सरचार्ज लगाया गया है, जिसे लागू टैरिफ एवं नियमों के अनुसार निरस्त किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार बढ़ाकर 15 किलोवाट किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा उक्त कनेक्शन से संबंधित दिसंबर 2022 से जुलाई 2026 तक का बिलिंग डाटा एवं गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर दिसंबर 2022 से जून 2025 तक डिफेक्टिव रहा तथा जुलाई 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं –

1. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में 2784 यूनिट के आधार पर की गई बिलिंग उचित है?

2. क्या मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की वसूली उचित है?

3. क्या आवेदक द्वारा स्वीकृत भार 14 किलोवाट से बढ़ाकर 15 किलोवाट किए जाने के अनुरोध पर अनावेदकगण को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत मीटर डायरी, मीटर रीडिंग एवं बिलिंग गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं –

1. डिफेक्टिव मीटर की अवधि में बिलिंग

अभिलेखों के परीक्षण से यह पाया गया कि उपभोक्ता के कनेक्शन में स्थापित मीटर दिसंबर 2022 से जून 2025 तक डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि में लगभग 2784 यूनिट की औसत खपत के आधार पर बिलिंग की गई है।

स्मार्ट मीटर जुलाई 2025 में स्थापित किए जाने के पश्चात उपलब्ध मीटर रीडिंग एवं बिलिंग अभिलेखों का परीक्षण करने पर कनेक्शन की औसत मासिक खपत लगभग 3000 यूनिट के पाई गई है।

अतः डिफेक्टिव मीटर की अवधि में की गई बिलिंग का उपलब्ध वास्तविक खपत के आधार पर पुनः परीक्षण एवं पुनर्गणना किया जाना उचित है। इस प्रकार, उक्त अवधि के बिलों का नियमानुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2. कैपेसिटर सरचार्ज

अभिलेखों के परीक्षण से यह भी पाया गया कि मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में उपभोक्ता के बिल में कैपेसिटर सरचार्ज लगाया गया है।

जब उक्त अवधि में मीटर डिफेक्टिव था और मीटर से संबंधित मापन विश्वसनीय रूप से उपलब्ध नहीं था, तब उस अवधि के लिए मीटर आधारित कैपेसिटर/पावर फैक्टर संबंधी सरचार्ज की वसूली उचित नहीं मानी जा सकती।

अतः मीटर के डिफेक्टिव रहने की अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज की राशि को निरस्त कर उसकी पुनर्गणना एवं आवश्यक समायोजन किया जाना उचित है।

3. स्वीकृत भार में वृद्धि

आवेदक द्वारा उक्त कनेक्शन के वर्तमान स्वीकृत भार 14 किलोवाट से बढ़ाकर 15 किलोवाट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में फोरम का मत है कि आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा लागू नियमों एवं प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार भार वृद्धि के आवेदन का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जानी उचित होगी।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम द्वारा निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि मीटर के दिसंबर 2022 से जून 2025 तक डिफेक्टिव रहने की अवधि में की गई बिलिंग की पुनः समीक्षा कर, उपलब्ध मीटर रीडिंग, बिलिंग अभिलेख एवं लागू नियमों के अनुसार बिलिंग की पुनर्गणना करें।

2. डिफेक्टिव मीटर की उक्त अवधि में लगाए गए कैपेसिटर सरचार्ज को निरस्त कर उसकी राशि की नियमानुसार पुनर्गणना एवं समायोजन किया जाए।

3. पुनर्गणना करते समय जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक मीटर रीडिंग एवं खपत के अभिलेखों को भी उचित आधार के रूप में ध्यान में रखा जाए तथा संशोधित बिलिंग नियमानुसार की जाए।

4. आवेदक द्वारा स्वीकृत भार 14 किलोवाट से बढ़ाकर 15 किलोवाट किए जाने हेतु विधिवत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर अनावेदकगण द्वारा प्रचलित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

5. उपर्युक्त संशोधन एवं पुनर्गणना के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी बिलों में समायोजन किया जाए।

6. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

7. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

8. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।

9. आदेश पारित।

10. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग